# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

| मिसल नम्बर | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 79 / 2024 / प्रा.पत्र / 2024 | 16.10.2024 | 20.12.2024 |

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री बृजबिहारी साहू पुत्र श्री जगदीश लाल साहू निवासी कायमखानियों की गली मेहन्दीबाग टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स जगदीश लाल कन्हैया लाल सुभाष बाजार घण्टाघर के पास टोंक जिला टोंक। मोबाईल नं. 9521214538
2–मैसर्स जगदीश लाल कन्हैया लाल सुभाष बाजार घण्टाघर के पास टोंक जिला टोंक। पिनकोड– 304001
3–श्री राजेश वर्मा पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण वर्मा निवासी 9/ई/213 इन्द्रा गांधी नगर जयपुर राज. प्रबंधक मैसर्स एस.आर. ट्रेंडिग कम्पनी दुकान नं. 31 कुन्दनपुरा सैक्टर–2 के पास मेन रोड इन्द्रा गांधी नगर जगतपुरा जयपुर राज.। पिनकोड–302017
4–मैसर्स एस.आर. ट्रेंडिग कम्पनी दुकान नं. 31 कुन्दनपुरा सैक्टर–2 के पास मेन रोड इन्द्रा गांधी नगर जगतपुरा जयपुर राज.। पिनकोड–302017

.....अप्रार्थीगण

**जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii),(iv) एवं दण्डनीय धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49)**

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थीगण श्री बृजबिहारी साहू एवं श्री राजेश वर्मा स्वयं उपस्थित।

:–निर्णय–: दिनांक 20/12/24

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.03.2024 को समय 03:00 पी.एम. पर मैसर्स जगदीश लाल कन्हैया लाल सुभाष बाजार घण्टाघर के पास टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रता की हैसियत से श्री बृजबिहारी साहू पुत्र श्री जगदीश लाल साहू अपने प्रतिष्ठान मैसर्स जगदीश लाल कन्हैया लाल सुभाष बाजार घण्टाघर के पास टोंक जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री बृजबिहारी साहू पुत्र श्री जगदीश लाल साहू को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री बृजबिहारी साहू पुत्र श्री जगदीश लाल साहू ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

अति. जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड, तेल घी, मसाले के साथ–साथ कागज के 2 कार्टून में लगभग 72 पैकेट मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 500–500 एम.एल. पैक एवं कागज के एक कार्टून में 36 पैकेट मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 1–1 लीटर पैक **घी (एसआरएमआई मदर चॉईस ब्राण्ड)** रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री बृजबिहारी साहू पुत्र श्री जगदीश लाल साहू को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री बृजबिहारी साहू एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह **घी (एसआरएमआई मदर चॉईस ब्राण्ड)** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, दुकान में रखे 500–500 एम.एल. पैक में से **घी (एसआरएमआई मदर चॉईस ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर एसआरएमआई 10 एवं पैकिंग की दिनांक 01.01.2024 थी, के 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी (एसआरएमआई मदर चॉईस ब्राण्ड)** के 4 मूल पैक प्रत्येक नग 500–500 एम.एल. को ज्यों का त्यों खाकी कागज से लपेटकर, नियमानुसार चार भाग तैयार कर नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3962 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3962 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की एवं शेष बचे खाद्य पदार्थ **घी (एसआरएमआई मदर चॉईस ब्राण्ड)** कुल मात्रा 70 लीटर को खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 के अन्तर्गत नियमानुसार सीज कर श्री बृजबिहारी साहू की सुरक्षित अभिरक्षा में सम्भलवाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री बृजबिहारी साहू पुत्र श्री जगदीश लाल साहू ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स एस.आर. ट्रेडिंग कम्पनी दुकान नं. 31 कुन्दनपुरा सैक्टर–2 के पास मेन रोड इन्द्रा गांधी नगर जगतपुरा जयपुर का खरीद बिल क्रमांक/इन्वॉइस नं. 23–24/267 दिनांक 13.01.2024 प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/416 दिनांक 09.04.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/864/एक्ट/2024/1047 दिनांक 26.03.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया **घी (एसआरएमआई मदर चॉईस ब्राण्ड)**

प्राधिकृत जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के रेगुलेशन नं. 2.3.7(2) के अनुसार **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण श्री बृजबिहारी साहू एवं श्री राजेश वर्मा स्वयं उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **घी (एसआरएमआई मदर चॉईस ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे, वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों को पूरा नहीं करता है, उक्त घी में Foreign Fat उपस्थित मिला है। उक्त **घी (एसआरएमआई मदर चॉईस ब्राण्ड)** जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** व **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **घी (एसआरएमआई मदर चॉईस ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii),(iv) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 1,00,000/–(अक्षरे एक लाख रूपये) आरोपित की जाती है तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिए जाते हैं कि वह जब्तशुदा घी को निस्तारित करने की कार्यवाही करे। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/12/24 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सीकरिया)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0